ज्ञान वाले नियम, अधिनियम, अनुदेश, मैनुअल तथा रिकार्डः

नियम और अधिनियमः

(i) रेल सेवा आचरण नियम।
(ii) अनुशासन एवं अपील नियम।
(iii) रोजगार घंटे अधिनियम।
(iv) पास नियम।
(v) छुट्टी नियम।
(vi) पेन्शन नियम।

अनुदेश तथा मैन्युअलः

(i) भारतीय रेल स्थापना नियमावली।
(ii) भारतीय रेल वित्त नियमावली।
(iii) ठेके की सामान्य शर्तें एवं मानक विनिर्देश।
(iv) सामान्य एवं सेवा नियम।
(v) दुर्घटना नियमावली।
(vi) भारतीय रेल भंडार नियमावली।
(vii) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश व विभिन्न तकनीकी पेम्पलेट्स।
(viii) रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय रक जारी विभिन्न अनुदेश।
(ix) साधारण एवं सहायक नियम।

इसके द्वारा एवं इसके नियंत्रणाधीन रखे जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरणः

कर्मीदल प्रबंधन एवं रनिंग से जुडे मामलों के दस्तावेज रिकार्ड, विभिन्न स्तरों पर किये गये निरीक्षण व उन पर की गई कार्यवाही से सबंधित फाइलें, बोर्ड से प्राप्त नीतिगत दिशानिर्देश तथा अनुदेश व विभिन्न कोड व नियमावलियों की शुध्दि पर्चियां, कार्यालधीन कार्य करने हेतु आंतरिक पत्राचार जो ज्यातर जनता से सबंधित नही है।

इसकी नीतियां बनाते एवं उन्हें लागू करने के सबंध में जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके सलाह पर की गई व्यवस्थाओं का विवरणः

आन्तरिक मामलों के लिए अनौपचारिक बैठकें पीएनएम इत्यादि की व्यवस्था करना जो उपयुक्त अंतराल तक मान्यता प्राप्त श्रनिक संगठनों के साथ आयोजित की जाती है। जिसमें स्थापन्ना परिचालन सबंधी कर्मचारी कल्याण इत्यदि मामलों पर चर्चा कर इसी के अनुसार निपटान किया जाता है। रेल प्रशासन वास्तविक रेल यात्रियों से शिकायत व सुझाव प्राप्त कर इनका उसी के अनुसार निपटान करता है।

बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकाय जिन्हें इसके अंग के रूप में दो या अधिक व्यक्तियों के साथ सलाह देने हेतु गठित किया गया ह तथा इन बोर्ड समितियों एवं अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली है तता इनके कार्यवृत्त जनता के लिए होते हैः-

यॉंत्रिक विभाग में इस प्रकार का कोई बोर्ड परिषद समिति या अन्य निकाय नही है।

इसके अधिकारी व कर्मचारी की दूरभाष निर्देशिकाः

टेलीफोन निर्देशिका मे सूचना उपलब्ध है।